



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. आनन्द पाटील  
कुलसचिव  
Prof. Anand Patil  
Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902  
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 011 / 2017 / प्रो.बो. / अनु.स. / 07 / 256  
दिनांक : 24.07.2024


## कार्यालयादेश

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत विश्वविद्यालय के अध्यादेश 9 (Ordinance 9) के बिंदु क्रमांक 9.5 के (Without prejudice to section 26 of the University Act 1997 as also Statute 29) अनुसार अनुशासन समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :

- |  |            |
|--|------------|
| 1. प्रतिकुलपति/कुलपति द्वारा नामित प्रोफेसर : प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी | अध्यक्ष    |
| 2. समस्त अधिष्ठाता   | सदस्य      |
| 3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण   | सदस्य      |
| 4. मुख्य छात्रावास अधीक्षक   | सदस्य      |
| 5. संबंधित छात्रावास अधीक्षक   | सदस्य      |
| 6. कुलानुशासक  | सदस्य सचिव |

कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूर्ण होगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

  
(कुलसचिव) 24/07/2024

प्रति (ई-मेल द्वारा) : सभी संबंधित ।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/कार्यालय प्रमुख
3. कुलानुशासक
4. सभी छात्रावास अधीक्षक
5. वित्त अधिकारी
6. आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ
7. वित्त विभाग
8. विश्वविद्यालय वेबसाइट
9. संबंधित पत्रावली